पत्रांक–2ब० / वि०श०–23–01 / 2015 41 / न०वि०एवंआ०वि०

* ई–मेल
स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 20/8/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर परिषद्, हाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत कोनहारा घाट विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हाईट को बढ़ाने के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में देनदारी की कुल राशि ₹25.00 लाख (पचीस लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर परिषद्, हाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना को विभागीय राज्यादेश सं०– 350, दिनांक– 28.03.2017 के क्रमांक– 38 द्वारा स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०– 351, दिनांक– 28.03.2017 द्वारा ₹0.25 लाख (पच्चीस हजार रु०) एवं विभागीय राज्यादेश सं०– 45, दिनांक– 04.09.2017 एवं आवंटनादेश सं०– 46, दिनांक– 04.09.2017 द्वारा ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रु०) अर्थात् कुल ₹25.25 लाख (पच्चीस लाख पच्चीस हजार रु०) आवंटित की जा चुकी है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर के पत्रांक– 1413, दिनांक– 24.07.2018 द्वारा योजना के लिए आवंटित राशि ₹25.25 लाख (पच्चीस लाख पच्चीस हजार रु०) के व्ययोपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करते हुए अवशेष राशि ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रु०) आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रु०) स्तम्भ– 7 के अनुरूप नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश / आवंटनादेश एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर परिषद्, हाजीपुर	कोनहारा घाट विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हाईट को बढ़ाने का कार्य।	350 / 28.03.17 351 / 28.03.17	50.25	25.25	25.00	0.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹25.00 लाख (पचीस लाख रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹25.00 लाख (पचीस लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हाजीपुर होगें**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात् कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद को हस्तांतरित किया जायेगा।**

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹25.00 लाख (पचीस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031920105,** विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/वि०श०-23-01/2015 के पृष्ठ सं०-....49..../टि० पर दिनांक-12.08.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-....50..../टि० पर दिनांक-13.08.2018 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् हाजीपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.08.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/वि०श०–23–01/2015 41 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–20/8/18

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् हाजीपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.08.18

सरकार के विशेष सचिव।